


वादी
 सोहनराम पुत्र विहाराम
 पध रत्नम

बनाम
 परिवारी
 सावंतराम पुत्र सुखाराम
 पध रत्नम

किस्म मुकदमा राजस वाद अधीन धारा 53, 188 R.A.C.T मु.नं. 126/2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
8/10/18	<p>प्रस्तुत वाद वादी ने परिवारीगण के खिलाफ अर्जेंट एक्टर 53, 188 R.A.C.T के तहत एक विचार वादी का आवेदन बाद पत्र द्वारा 53, 188 R.A.C.T के तहत हार्जि राफिस ही वादी को सुन वादी ने कथन विचार की ग्राम रत्नम के बखत 750, 788, 800 में खादेसीची केरीकला मुडा पत्नी ने परिवारीगण परेशान कर कला करने पर उतारु ही उन्हे पाबन्द करवाने परिवारीगण को कोष में बुलाया गया परिवारीगण उपर अरपयं गा.पं. रत्नम उपर पक्षकारण को आपस में बखत सामाजिक करने पर अरवांरा कराने पर सहमत होने से कोष में उपस्थित तहसीलदार लुपामन को विचार में गये की पक्षकारण का शीनामा जाफिक अरवांरा कहीं पक्षकारण द्वारा शीनामा पत्र किंग 1 किंग रूप में जे हांताक्ष रूफि शीनामा इरा. 1 किंग विचार मिला वादी के आवेदन बाद पत्र में कार्यवाही होख गयी होने से पक्षकारण कोष में कला होकर फिलाल जावो</p> <p>विचार अरु आम कोष रत्नम में बुलाया गया</p>	


 जज अदिकारी
 कुचाम सिटी (नागर)